

Regarding need to ban unauthorised App/websites used for resizing the documents keeping in view personal data breach- Laid

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर) : भारत में लगभग सभी सरकारी पोर्टल्स पर फाइल्स जैसे कि आधार कार्ड, फोटो इत्यादि अपलोड करने में फाइल साइज की एक लिमिट रहती है जिसका अनुपालन किये बिना फाइल उक्त पोर्टल पर अपलोड नहीं होती । उदाहरण के तौर पर जीएसटी पोर्टल पर रेंट / लीज एग्रीमेंट फाइल की साइज लिमिट सिर्फ एक 1 एमबी है। उसके बिना जीएसटी पोर्टल उक्त कागज़ को रिजेक्ट कर देता है । यूजर को फाइल का साइज कम करने के लिए अनधिकृत वेबसाइट्स का सहारा लेना पड़ता है । यहाँ तक की संसद के दर्शन पोर्टल में भी ऐसी ही फाइल साइज अपलोड करने पर ऐसी ही सीमाएँ हैं । ये वेबसाइट्स एवं ऐप्स अनधिकृत हैं जिससे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट डेटा ब्रीच और प्राइवैसी वायलेशन के खतरों का रिस्क बढ़ता है । एलएलएम और एआई के दौर में हमारे इस गोपनीय डाटा का दुरुपयोग हो रहा है । मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए सभी डिपार्टमेंट्स, राज्य सरकारों एवं विदेशी मिशनस में उपयोग हो रहे ऐसे पोर्टल्स में ऐसी फाइल साइज लिमिट की पहचान करते हुए इन्हे हटाया जाए या यूजर को इंटीग्रेटेड कंप्रेस सोल्यूशन्स उक्त पोर्टल पर ही दिए जाएँ ।